न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—308/2016/225 (2016/00308)

1. श्रीमती मानकंवर पत्नी स्व0 मगनसिंह, जाति राजपूत,
2. कुन्दन सिंह पुत्र स्व0 मगनसिंह, जाति राजपूत,
3. गोपाल सिंह पुत्र स्व0 मगनसिंह, जाति राजपूत,
4. श्रीमती सूरज कंवर पत्नी स्व0 मनोहरसिंह पुत्रवधु स्व0 मगनसिंह,
   समस्त निवासी ग्राम रामपुरा (नांद) तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर , जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

2. भवानीसिंह पुत्र स्व0 छीतरसिंह, जाति राजपूत,
3. जवानसिंह पुत्र स्व0 छीतरसिंह, जाति राजपूत,
4. जगदीश पुत्र स्व0 छीतरसिंह, जाति राजपूत,
5. कुलदीप सिंह पुत्र स्व0 मनोहरसिंह पौत्र मगनसिंह, जाति राजपूत,
   समस्त नि0 ग्राम रामपुरा (नांद) तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर, दिनांक 23.6.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 77/2015 .

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1.
3. प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 2 से 5 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः—28.12.2018

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर के निर्णय दिनांक 23.6.2016 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस/प्रार्थीगण ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश कर निवेदन किया कि चौसाला जमाबंदी संवत् 2017 से 2020 की खतौनी संख्या 23 के चौसाला खसरा नंबर 207 रकबा 1—13—00 के खातेदार सवाईसिंह पुत्र शैतानसिंह कि जिनका स्वर्गवास हो चुका है जिनके दो पुत्र मगनसिंह व छीतरसिह थे जिनका भी स्वर्गवास हो चुका है । मगनसिंह के वारिसान अपीलांटस है तथा छीतरसिंह के वारिसान प्रफोर्म रेस्पो0 सख्या 2 से 5 है । विवादित भूमि अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 2 से 5 की पुश्तैनी आराजी है जिस पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है । खसरा नंबर 207 के वर्किंग खसरा नंबर 193 बने है जिसके वर्तमान खसरा नंबर 130 रकबा 0.27 है0

जो कि ग्राम रामपुरा (नांद), तह0 पुष्कर में स्थित है । भू–प्रबंध विभाग ने विवादित भूमि को राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज कर दिया । इस इंद्राज की आड़ में रेस्पो0 संख्या 1 अपीलांटस को विवदित आराजी से बेदखल करने पर आमादा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद के निर्णय तक रेस्पो0संख्या 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 23.6.2016 द्वारा अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी के पुश्तैनी समय से खातेदार काश्त दर्ज चले आ रहे है किन्तु भू–प्रबंध विभाग ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेशों के विवादित आराजी को राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज कर दिया । भू–प्रबंध विभाग को पूर्व इद्राज को दौहराना चाहिये था । विवादित भूमि पर अपीलांटस का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है । अधी0न्याया0 के समक्ष चौसाला जमाबंदी संवत् 2017 से 2020 के अनुसार खतौनी संख्या 23 खसरा संख्या 207 रकबा 1–13–0 सवाई पुत्र शैतानसिंह के नाम दर्ज है कि जिनका स्वर्गवास हो चुका है जिनके दो पुत्र मगनसिंह एवं छीतरसिंह है । मगनसिंह का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस अपीलांटस है । इस संबंध में वर्तमान राजस्व रिकार्ड गलत रूप से विवादित भूमि सिवायचक दर्ज करने एवं गलत किस्म दर्ज करने के कारण एक सद्भाविक वाद अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है यदि दौराने विचाराधीन वाद अपीलांटस को बेदखल कर दिया जाता है तो वाद एवं अपील प्रस्तुत करने का औचित्य ही समाप्त हो जावेगा । अधी0न्याया0 द्वारा पत्रावली प्रफोर्मा प्रतिवादी की तलबी में नियत थी तथा राजस्व कैम्प में बिना तामील कराये एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया है जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । बहस में यह भी कथन किया कि इसी भूमि के संबंध में मान0 राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी टी0ए0 6172/2015 श्रीमती मानकंवर बनाम सरकार विचाराधीन है जिसमें यथास्थिति के आदेश पारित किये हुए है इसके बावजूद अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस का प्रार्थना पत्र तथ्यों का अवलोकन किये बिना नोन–स्पीकिंग आदेश पारित कर खारिज करने में त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् नहीं होने से खारिज किया जावे तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से अपीलांटस का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है जिसमें किसी किसी हस्तक्षेप की आश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि चौसाला जमाबंदी संवत् 2017 से 2020 में विवादित भूमि सवाईसिंह अपीलांटस के पूर्वज के नाम खातेदारी से दर्ज है । खसरा गिरदावरी 2015 से 2020 के अनुसार भी विवादित भूमि खसरा नंबर 207 खातेदारी में बतौर रास्ता दर्ज है न कि सिवायचक । इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज कर प्रफोर्मा रेस्पो0 को नोटिस तामील कराये बिना तथा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर बिना विचार किये

नोन–स्पीकिंग आदेश पारित कर प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो कि न्याय प्रक्रिया के विरूद्ध होने से अविधिक है । अधी0न्याया0 ने धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तीनों घटक यथा प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर भी कोई निष्कर्ष नहीं लिया है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर का निर्णय दिनांक 23.6.2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 हाल उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर निर्णित करे ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 28.12.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर